कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित)
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708 Fax - 2262558 E mail - eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/G-14/2023-24/9467 नवा रायपुर, दिनांक 28/11/2023

प्रति,

सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम,
शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-.................... (छ.ग.)

विषय :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों द्वारार PFMS के माध्यम से भुगतान करने पर कटौत्रा (Deduction) किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

--00--

विषयांतर्गत, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में व्यय हेतु PFMS सिस्टम लागू किया जा चुका है एवं भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त प्रकार के व्यय केवल PFMS के माध्यम से किया जाना है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में PFMS से व्यय किये जाने पर कटौत्रा (Deduction) के संबंध में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उक्त संबंध में निम्नानुसार प्रणाली अपनायी जाये :-

1. सर्वप्रथम जिस फर्म/कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कटौत्रा कर भुगतान किया जाना है उसके लिये PFMS पोर्टल Login कर Expenditure-Add new में कुल भुगतान किये जाने वाली राशि की प्रविष्टि करना है। उसके पश्चात् **Deduction वाली एंट्री आने पर समस्त प्रकार की कुल कटौत्रा राशि** की एक ही बार में प्रविष्टि किया जाना है। तत्पश्चात् Approval के लिये Approval ID में भेजना है।
2. Transaction Approve करने के बाद PPA जनरेट होगा। यहा पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि Expenditure में प्रविष्टि की गई कुल राशि में से Deduction की गई राशि पश्चात् जो राशि शेष होती है उसी राशि का PPA जनरेट होगा जबकि PFMS पोर्टल कुल बैलेंस में से प्रविष्टि की गई कुल राशि (मूल राशि + कटौत्रा राशि) की राशि कम हो जायेगी।
3. चूंकि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में PFMS का TSA मॉड्यूल लागू है जिसमें भौतिक रूप से राशि विद्यालयों के खातों में उपलब्ध होती है अतः कटौत्रा (Deduction) की गई राशि हेतु पृथक से Holding Account खुलवाने की आवश्यकता नहीं है।
4. कटौत्रा (Deduction) की गई राशि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बैंक खातों में उपलब्ध होगी जिसे चेक के माध्यम से संबंधितों को भुगतान किया जाना होगा।
5. उदाहरण :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शिक्षक का वेतन भुगतान किया जाना है। उक्त शिक्षक के वेतन भुगतान की सकल राशि (Gross amount) 20,000/- है, जिसमें से 2,000 रूपये EPF तथा 1,000/- प्रशासकीय शुल्क एवं अन्य की कटौती (Deduction) है इस प्रकार कटौत्रा की कुल राशि रूपये 3,000/- होती है। उक्त शिक्षक का वेतन बनाते समय कटौत्रा की कुल राशि रूपये 3,000/- को एक ही बार में Deduction वाले कॉलम में प्रविष्टि करना है उसके बाद PPA 17,000/- का जनरेट होगा जबकि PFMS पोर्टल के Operator ID में रूपये 20,000/- की राशि कुल बैलेंस में कम हो जायेगी।

पूर्व पृष्ठ पर वर्णित उदाहरण अनुसार कटौत्रा की कुल राशि रूपये 3,000/– एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बैंक खाते में उपलब्ध होगी जिसे EPFO या अन्य जिसे भी Payment करना है, चेक के माध्यम से कटौत्रा राशि भुगतान की जा सकती है इस हेतु पृथक से Holding Account खुलवाने की आवश्यकता नहीं है।

6. कटौत्रा की गई राशि का एक पृथक रजिस्टर तैयार किया जाये जिसमें कटौत्रा राशि को किस संस्था को किस माध्यम से यथा–चालान/चेक आदि भुगतान किया जा रहा है का तिथिवार अभिलेख तैयार हो सके।

इस प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में PFMS सिस्टम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये तथा इसका विशेष ध्यान रखा जाये कि कटौत्रा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के देयकों की राशि का भुगतान RTGS/NEFT, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य माध्यमों से नहीं हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कटौत्रा की गई राशि के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार के व्यय राशि का PFMS के अलावा अन्य माध्यमों से भुगतान होना पाया जाता है तो संबंधित सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव एवं संस्था प्रमुख के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(शम्मी आबिदी)
आयुक्त/पदेन सचिव
छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ. क्रमांक/EMRS/G-14/2023–24/9468 नवा रायपुर, दिनांक 28/11/2023

प्रतिलिपिः–

1. **सचिव,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **संयुक्त सचिव,** भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, (NESTS) जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. **कलेक्टर/अध्यक्ष,** जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला– .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. **प्राचार्य,** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय..................., जिला–............... को निर्देशित किया जाता है कि संस्था से संबंधित समस्त प्रकार के देयकों का भुगतान केवल PFMS के माध्यम से किया जाकर नियमानुसार देयक पर किये जाने वाली कटौत्रा (Deduction) राशि के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें उक्त प्रक्रिया में यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रमुख के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जवाबदार होंगे।

आयुक्त/पदेन सचिव
छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर